आरक्षी सीधी भर्ती–अक्टूबर–2018

NR-386

समयबद्ध / महत्वपूर्ण / द्वारा फैक्स / ई–मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर–1, चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग, लखनऊ।

संख्याःदस–51(पुलिस आरक्षी भर्ती–अक्टूबर–2018)2020 दिनांकः मार्च 04, 2020

सेवा में,

पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर,
एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती–अक्टूबर–2018 के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि कृपया उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ पत्रॉक–पीआरपीबी–एक–1 (136)2018 दिनॉकः 16.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागारिक पुलिस के 31,360 तथा आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के 18,208 पद अर्थात कुल 49,568 पदों की सीधी भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञप्ति / सूचना जारी की गयी है।

2– उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ पत्रॉक–पीआरपीबी–एक–1(148)2018 दिनॉकः 02.03.2020 द्वारा **आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती–अक्टूबर–2018** का चयन परिणाम भर्ती बोर्ड की वेबसाईट–upprpb में अपलोड किया गया है।

3– उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–1 / 15 / 2675 / 6–पु–1–15–54–2015 दिनॉकः 02.12.2015 द्वारा प्रख्यापित **उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015** एवं अधिसूचना संख्या–1 / 2017 / 1569 / 6–पु–1–17–54–2015 दिनॉकः 17.08.2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली(प्रथम संशोधन)–2017 के संगत नियमों के आलोक में पात्र अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराया जाना प्रस्तावित है।

4– **उक्त के दृष्टिगत निम्नॉकित विषयों(विन्दुओं) पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–**

क– चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में।

ख– चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के लिये कतिपय जनपदों में वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में।

ग– जनपद / मण्डल स्तर पर चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन हेतु नोडल आफीसर (राजपत्रित) का नामित किया जाना।

5– उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–1 / 2017 / 1569 / छः–पु–1–17–54–2015 दिनॉकः 17.08.2017 द्वारा प्रख्यापित **उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2017 के** नियम–15(6) में निहित व्यवस्था के अर्न्तगत चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था निम्नवत् हैः–

नियम–15 (6) चिकित्सा परीक्षा :–

(क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम चयन सूची में हों, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किये जाने के लिए, तीन(3) चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोड कृत "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।

(ग) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनॉक के पश्चात् किसी दिनॉक को दाखिल की जाती है।

(घ) अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ होगा।

(ड.) आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरूद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।

(च) चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिए विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेगे।

(छ) चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियॉ अगले चयन के लिए अग्रनीत की जायेगी।

6– **चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक माप में निदेशक, बॉट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय, इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करा लिया जाय। इस सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर पर जनपदीय चिकित्सा बोर्ड तथा प्रत्येक मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, स्वास्थ्य से समन्वय स्थापित कर मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड का गठन कर लिया जाय।**

7– **चयनित महिला अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण के दृष्टिगत जनपदीय चिकित्सा बोर्ड में एक महिला अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा।**

8– **चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कतिपय जनपदों में वैकल्पिक व्यवस्था (जहॉ चिकित्सा एवं चरित्र सत्यापन कराया जाना व्यवहारिक कारणों से यथा आधारभूत संरचना का अभाव आदि) अन्यत्र जनपद में कराया जाना है, के सम्बन्ध में कार्यवाही 03 दिवस के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय एंव पुलिस मुख्यालय को भी सूचित किया जाय।**

9– **जनपद स्तर पर चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन हेतु नामित किये जाने वाले पुलिस उपाधीक्षक (नोडल आफीसर) आरक्षी भर्ती के प्रधान लिपिक/सहायक लिपिक तथा मण्डल स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल आफीसर) के नाम/ई–मेल/वाट्स–एप एवं सी0यू0जी0 नम्बरों की सूची पुलिस अधीक्षक, कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ 03 दिवस के अन्दर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

10– अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्तरों में निहित निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही 03 दिवस के अन्दर करते हुए कृत कार्यवाही से सर्व सम्बन्धित सहित उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को भी अवगत कराने का कष्ट करें। चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश आपको अलग से निर्गत किये जायेंगे।

04/03

(आर0के0 भारद्वाज)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशासन
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

प्रतिलिपिः महानिदेशक, चिकित्सा एवं सेवाएं उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः–

1–अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19–सी, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक,जोन्स उत्तर प्रदेश।
4–समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त परिपत्र पुलिस की बेवसाइट http://uppolice.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।